

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राज.) 302005

क्रमांक: प.23(17)परि/प्र.नि/योजना/2017 पार्ट-1/17629

जयपुर, दिनांक: 14/9/2020

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी

.....समस्त।


विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2020 की पालना हेतु।

संदर्भ:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 8932-8933/2015।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 8932-8933/2015 State of Madhya Pradesh versus Center for Environment protection research & Developments and others में निर्णय दिनांक 28.08.2020 में निम्नानुसार निर्देश जारी किए हैं:-

“The State appellant shall, however, strictly implement compliance of Rules 115 and 116 of the Rules and penalize all those who contravene the said Rules in accordance with the provisions of the 1989 Rules. The Registration Certificate of vehicles which do not possess a valid PUC Certificate shall be forthwith suspended and/or cancelled and penal measures initiated against the owner and/or the person(s) in possession and/or control of the offending vehicle, in accordance with law.”


अतः उपरोक्तानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करे एवं की गई कार्यवाही की प्रतिमाह रिपोर्ट ई-मेल transport.pollution@rajasthan.gov.in & transport.enforce@rajasthan.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


(रवि जैन)

क्रमांक: प. 23(17) परि / प्र.नि. योजना / 2017 / 17630 - 32 जयपुर, दिनांक: परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्र.नि)